<u>बजट भाषण</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं सदन को प्रणाम करते हुये सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उन सभी वित्त मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सदन में पूर्व में बजट प्रस्तुत किये हैं। गौरवान्वित हूं कि इस पवित्र सदन में मुझे प्रथम बार हमारी सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। हमारी सरकार का यह ग्यारहवां वार्षिक बजट है। मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूं कि उन्होनें हमारी सरकार की नीतियों पर विश्वास करते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। जनता द्वारा व्यक्त किये गये विश्वास को साकार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इन भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाना चाहूंगा -

यह भी एक दुआ है, खुदा से

किसी का दिल न दुखे, मेरी वजह से

हे ईश्वर, कुछ ऐसी कर इनायत मुझ पर

कि सबको, खुशियां ही मिले मेरी वजह से

यह बजट मात्र आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं वरन् प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला रोड मैप है जिसमें बच्चों की आशा है, बेटियों की आकांक्षा है, युवतियों की उमंग और युवकों का उत्साह है, महिलाओं की शक्ति है, बुजुर्गों का आसरा है, किसानों का आत्मबल है, उद्यमियों का सम्बल है, बेरोजगारों के खुश होने के कारण हैं, व्यवसायियों के लिये स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन है, जन प्रतिनिधियों का अनुभव है एवं जनता का विश्वास है।

2. विगत 10 वर्षों में प्रदेश में भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में हुई प्रगति एवं उपलब्धियों को मैं सदन के समक्ष दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारी सोच एवं इस सोच को धरातल पर लाने की इच्छाशक्ति एवं क्षमता के कारण ही प्रदेश विकासशील प्रदेशों की अग्रिम पंक्ति में पहुँच गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 6.57 प्रतिशत थी जो बढ़कर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9.94 प्रतिशत हो गयी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि दर दो अंकों में बनाये रखने का हमारा दृढ़ संकल्प है। सदन को अवगत कराते हुये मुझे गौरव हो रहा है कि वर्ष 2013-14 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में दोगुनी से अधिक है।

3. हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि पिछले 8 वर्षों से प्रदेश, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों में निर्धारित राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे तथा सकल परादेय ऋण की सीमाओं में रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लगातार राजस्व आधिक्य में रहने के कारण पूंजीगत व्यय के लिये ऋण पर निर्भरता कम हुई है। आज प्रदेश पर राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का भार मात्र 6.7 प्रतिशत रह गया है जो वर्ष 2003-04 में 22.44 प्रतिशत था।

4. प्रदेश की विकास दर को बढ़ाने एवं समावेशी विकास की दृष्टि से हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिये दृष्टि पत्र-2018 जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि पत्र के माध्यम से प्रदेश के विकास की गति को पंख लगेंगे। दृष्टि पत्र-2018 के द्वारा सरकार ने कृषि, सिंचाई और विविधीकरण, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण,

कौशल विकास, समावेशी विकास, जल आपूर्ति, सड़क, विद्युत आपूर्ति एवं नवकरणीय ऊर्जा, लोक परिवहन, शहरी गृह निर्माण एवं आवास विकास, ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास, रोजगार सृजन एवं निवेश, पर्यावरण प्रबंधन, खेल, संस्कृति, विरासत और पर्यटन एवं सुशासन को प्राथमिकता में रखते हुए लक्ष्यों का निर्धारण किया है।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के दृष्टि पत्र-2018 को लागू करने के प्रयासों के अनुक्रम में वर्ष 2014-15 में किये जाने वाले विभिन्न प्रावधानों को मैं अब सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

भाग-एक (क)

कृषि, सिंचाई और विविधीकरण

6. हमारी सरकार का संकल्प कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। इस संकल्प के कारण प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को सम्मिलित कर वर्ष 2012-13 से कृषि बजट पृथक खण्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कृषि विकास की गतिविधियां प्रबल हुई हैं। कृषि क्षेत्र में राज्य ने सतत् उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है जिसका प्रतिफल है कि प्रदेश को लगातार पिछले 2 वर्षो से ''कृषि कर्मण अवार्ड'' प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में लगभग 24.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो अभूतपूर्व है।

7. राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य में उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देने तथा कृषि आदानों की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करने से फसलों की उत्पादकता एवं खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की मुख्य फसलों यथा गेहूं, धान तथा चना की उत्पादकता वर्ष 2008-09 में क्रमशः 1 हजार 895, 969 एवं 980 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर क्रमशः 2 हजार 976, 2 हजार 156 एवं 1 हजार 202 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। रबी वर्ष 2012-13 में गेहूं का उत्पादन जहाँ 161.25 लाख मैट्रिक टन था वहीं वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर 174.78 लाख मैट्रिक टन हुआ है। रबी वर्ष 2014-15 में 219 लाख मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2013-14 में धान का उत्पादन 41.71 लाख मैट्रिक टन रहा जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 27.55 प्रतिशत अधिक है। खरीफ वर्ष 2014-15 हेतु 50 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य द्वारा किसानों के गेहूं

एवं धान उत्पाद के उपार्जन के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ₹ 150 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। मक्के का उत्पादन मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य जिलों में होता है। प्रदेश के आदिवासी कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध हो, इस दृष्टि से मक्के के समर्थन मूल्य पर भी ₹ 150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृषकों को बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 1 हजार 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के घटक के रूप में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना प्रारंभ की गई है जिससे किसानों को खेतों तक पहुँचने के लिए सुगम व बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2014-15 में इस उपयोजना पर ₹ 1 हजार करोड़ का व्यय संभावित है।

9. खाद के अग्रिम भण्डारण के लिये किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रासायनिक खाद ब्याज रहित आधार पर दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के कृषकों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

10. कृषकों को किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हैं। वर्ष 2014-15 में 320 नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

11. कृषि महाविद्यालयों, कृषि शोध संस्थानों के द्वारा खेतों को चिन्हित कर उन्नत कृषि तकनीकों के प्रदर्शन तथा कृषकों को प्रशिक्षित करने हेतु मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना प्रारम्भ की गई है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी हेतु विशेष प्रशिक्षण की योजना के लिये वर्ष 2014-15

में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना के अंतर्गत भी वर्ष 2014-15 में कृषक दल विदेश भ्रमण पर भेजे जायेंगे।

12. भू-जल स्तर में वृद्धि एवं सिंचाई हेतु बलराम तालाब योजना संचालित है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 46 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा कृषि पंपो के नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भी कृषक अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 227 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

13. सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 28 लाख कृषकों को ₹ 12 हजार 450 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2014-15 में 34 लाख कृषकों को ₹ 15 हजार करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा जाकर ब्याज अनुदान मद में ₹ 421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा सदैव जिम्मेदारी लेकर आती है। दुर्भाग्य से हमारा प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदा के दुष्प्रभाव झेल रहा है। विगत वर्ष भी हमारे कृषकों ने अतिवर्षा एवं ओला-पाला की प्राकृतिक आपदा का दंश झेला है। हमारी संवेदनशील सरकार ने किसानों की इस विपत्ति में सहभागिता रखते हुये ₹ 2 हजार करोड़ से भी अधिक की राहत राशि स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से उपलब्ध कराई है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी कृषकों को फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमा राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2013-14 के प्रावधान ₹ 48 करोड़ को लगभग 20 गुना बढ़ाकर वर्ष 2014-15 में ₹ 900 करोड़ रखा जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं –

बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार कर देंगे

दिशा दे दो, किसान मिलकर देश को संवार देंगे।

15. किसानों को 10 घंटे थ्री फेज बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से पृथक फीडर स्थापित करने की योजना में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इस योजना में वर्ष 2013-14 तक ₹ 2 हजार 775 करोड़ का निवेश किया गया है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में ₹ 950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

16. कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर लगभग ₹ 5 हजार 100 प्रति हॉर्स पावर प्रतिवर्ष है जबकि राज्य के किसानों से मात्र ₹ 1 हजार 200 प्रति हॉर्स पावर प्रतिवर्ष की दर से राशि ली जा रही है। टैरिफ सब्सिडी हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

17. कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत कृषकों के फरवरी 2013 तक के विद्युत बिलों की बकाया राशि में सरचार्ज राशि को पूर्ण रूप से माफ करते हुए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 240 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

18. सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व है कि विगत वर्षों में सिंचाई सुविधा के विस्तार में प्रदेश ने प्रशंसनीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। हमारी यह यात्रा यहाँ रुकी नहीं है बल्कि इससे प्राप्त सकारात्मक परिणामों ने हमें नई स्फूर्ति, शक्ति व उत्साह दिया है।

19. वर्ष 2010 में राज्य विधानसभा में यह संकल्प पारित किया गया था कि सिंचाई की निर्मित क्षमता एवं सिंचित क्षेत्र के अंतर को कम किया जायेगा और आगामी चार वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता विकसित की जायेगी। हर्ष का विषय है कि

वर्ष 2013-14 के अंत तक निर्मित सिंचाई क्षमता का लगभग पूर्ण उपयोग किया गया है तथा लक्ष्य से अधिक नई क्षमता विकसित की गई है। परिणामस्वरूप रबी 2013-14 में शासन की सिंचाई परियोजनाओं से 27.17 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई है जो रबी 2010-11 में की गई 9.78 लाख हेक्टेयर सिंचाई के ढाई गुना से भी अधिक है।

20. वर्ष 2018 तक 3 वृहद, 20 मध्यम तथा 450 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना संभावित है। हमारी सरकार का लक्ष्य सिंचित क्षेत्र को वर्ष 2018 के अंत तक 35 लाख हेक्टेयर किये जाने का है।

21. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 8 लाख हेक्टेयर रूपांकित क्षमता की 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसके विरूद्ध मार्च, 2014 तक 4 लाख 78 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि ₹ 422 करोड़ लागत की नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना को मात्र 14 माह की अवधि में पूर्ण किया गया है। इस परियोजना से क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान किया गया है। इस परियोजना से औद्योगिक और पेय जल की पूर्ति के साथ-साथ 5 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित की जायेगी। नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के परिणामों से उत्साहित होकर हमारी सरकार ने मालवा अंचल की लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना परिकल्पित की है। वर्ष 2014-15 में सिंचाई से संबंधित कार्यो के लिए ₹ 5 हजार 714 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2013-14 के प्रावधान से ₹ 708 करोड़ अधिक है।

22. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन का ध्यान कृषि से संबद्ध क्षेत्र में किए गये प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

23. उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश में जैविक खेती आधारित उत्पादन देश के कुल जैविक उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है। प्रदेश के लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी गतिविधियों के माध्यम से 234 लाख मैट्रिक टन उत्पादन लेकर प्रदेश मसालों, फलों, औषधीय पौधों एवं सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी रहा है।

24. गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री की समुचित आपूर्ति, समेकित सेवाएँ प्रदान करने हेतु उद्यानिकी हब्स तथा क्लस्टर्स को विकसित किया जा रहा है। साथ ही, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस जैसी प्रविधियों को प्रचलित करने का लक्ष्य भी है। वर्ष 2013-14 में उद्यानिकी के लिए कुल ₹ 392 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर वर्ष 2014-15 में ₹ 597 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

25. प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की गतिविधियों को विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार सतत् प्रयासरत है। मौजूदा जल क्षेत्र को शत प्रतिशत मत्स्य उत्पादन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 85 हजार मैट्रिक टन प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर वर्ष 2018 तक 1 लाख 45 हजार मैट्रिक टन किया जाए। मत्स्य उत्पादन की गतिविधियों के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 88 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. पशु संवर्धन एवं नस्ल सुधार के माध्यम से प्रदेश में पशुपालन की गतिविधियों को व्यवसाय-उन्मुखी किया जाना लक्षित है। वर्ष 2014-15 में 36 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं 75 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाएगा।

27. हमारा प्रयास आधुनिक डेयरी विकास तथा उत्कृष्ट पशुधन प्रबंधन का है। वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश की दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर देश में सर्वाधिक रही तथा प्रदेश दुग्ध

उत्पादन में देश में छटवें स्थान पर रहा है। वर्ष 2013-14 में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 8.61 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2014-15 में 9 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।

28. वर्ष 2014-15 में पशुपालन गतिविधियों के लिए ₹ 861 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2013-14 की तुलना में ₹ 116 करोड़ अधिक है।

29. वर्ष 2013-14 में राज्य का कृषि बजट ₹ 16 हजार 355 करोड़ था जो कुल बजट का 17.79 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के लिए कृषि बजट ₹ 22 हजार 413 करोड़ प्रस्तावित है जो कुल बजट का 19.15 प्रतिशत है।

भाग-एक (ख)

सड़क, विद्युत आपूर्ति तथा नवकरणीय ऊर्जा

सड़क

30. सड़कें विकास की धमनियाँ हैं। जिस प्रकार हृदयगति की निरंतरता के लिए धमनियों को स्वस्थ एवं अवरोधमुक्त रखने की आवश्यकता रहती है उसी प्रकार प्रदेश के विकास के लिए सड़कों को संचार योग्य बनाये रखा जाना आवश्यक है। भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में हमारे लक्ष्य गतिमान हैं।

31. हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को चार लेन तथा जिला मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ा जाए। आगामी पांच वर्षों में लगभग 19 हजार किलोमीटर के मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

32. मध्यप्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1 लाख 25 हजार 390 किलोमीटर है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों में ₹ 5 हजार 933 करोड़ का निवेश कर 690 किलोमीटर का चार लेन में, ₹ 497 करोड़ का निवेश कर 158 किलोमीटर का दो लेन में उन्नयन किया जा रहा है। ₹ 315 करोड़ का निवेश कर 108 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का दो लेन में उन्नयन किया जा चुका है।

33. राजकीय राजमार्गो के 504 किलोमीटर को चार लेन में परिवर्तित किया जा चुका है। आगामी पाँच वर्षो में राजकीय राजमार्गो के 1 हजार किलोमीटर को चार लेन में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य है। जन-निजी भागीदारी के माध्यम से 2 हजार 759 किलोमीटर एवं सामान्य निविदा पद्धति से 5 हजार 153 किलोमीटर के दो लेन राजकीय

राजमार्ग विकसित किए गए हैं। इसके अलावा 1 हजार 901 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग जन-निजी भागीदारी व अन्य पद्धतियों से निर्माणाधीन हैं।

34. मुख्य जिला मार्गों के 2 हजार 49 किलोमीटर का विकास एन्यूटी पद्धति पर ₹ 3 हजार 415 करोड़ के निवेश से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत 65 हजार 935 किलोमीटर सड़क के विरुद्ध 55 हजार 205 किलोमीटर सड़क निर्मित की जा चुकी हैं, जिसमें ₹ 13 हजार 254 करोड़ का निवेश हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिधि में न आने वाली ग्राम सड़कों के लिए प्रदेश सरकार की पहल से प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ₹ 1 हजार 808 करोड़ का निवेश कर लगभग 10 हजार 990 किलोमीटर की ग्राम सड़कें बनाई गई हैं।

35. वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण तथा निर्माण के लिए ₹ 2 हजार 265 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹ 2 हजार 25 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹ 203 करोड़ तथा सड़कों के संधारण के लिए ₹ 1 हजार 153 करोड़, इस प्रकार सड़कों के लिए कुल ₹ 5 हजार 646 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में ₹ 676 करोड़ अधिक है।

विद्युत आपूर्ति

36. प्रदेश में वर्ष 2004-05 में विद्युत उपलब्धता 6 हजार मेगावाट थी, जो बढ़कर वर्ष 2013-14 के अंत तक लगभग 13 हजार मेगावाट हो गई है। विद्युत उपलब्धता वृद्धि के सतत् व सघन प्रयासों के द्वारा गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने में हमारी सरकार सफल रही है। वर्ष 2013-14 में अधिकतम 9 हजार 758 मेगावाट विद्युत आपूर्ति का प्रशंसनीय लक्ष्य हासिल किया गया है।

37. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की द्वितीय इकाई से शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होना अपेक्षित है। प्रदेश की जनता को वर्ष 2014-15 में 3 हजार 120 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। नवीन विद्युत उत्पादन परियोजना के निर्माण तथा विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 1 हजार 525 करोड़ का निवेश संभावित है।

38. पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 2 हजार 117 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईनों के निर्माण एवं 7 हजार 627 एम. व्ही. ए. क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में पारेषण कार्यों हेतु ₹ 1 हजार 486 करोड़ का निवेश किया जायेगा।

39. प्रदेश में वर्ष 2004-05 में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 64 लाख 93 हजार थी, जो वर्ष 2013-14 के अंत तक बढ़कर 109 लाख 49 हजार हो गई है। विद्युत वितरण क्षेत्र में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां वर्ष 2013-14 के अंत तक 25.95 प्रतिशत रह गई हैं, जिन्हे आगे घटाकर वर्ष 2018-19 तक 17.50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। विद्युत वितरण क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में ₹ 4 हजार करोड़ का निवेश संभावित है।

40. प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। सौर, बायोमास आधारित, पवन तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं की आकर्षक नीतियों के फलस्वरूप निवेशकों ने निवेश के प्रति रुचि दिखाई है। राज्य में मार्च 2014 तक 858 मेगावाट की क्षमता निर्मित की जा चुकी है। दिसम्बर 2014 तक नवकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों से लगभग 2 हजार 500 मेगावाट की विद्युत क्षमता निर्मित हो सकेगी।

41. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 130 मेगावाट क्षमता के देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना फरवरी 2014 में नीमच जिले के डीकेन में हुई है। वर्ष 2014-15 में नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹ 72 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पेयजल

42. जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में जल एक अहम आवश्यकता है। पेयजल सुविधा का प्रत्येक नागरिक तक विस्तार किये जाने की चुनौती का सामना करने के लिये हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2018 तक सभी बसाहटों में प्रत्येक परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा नल-जल आपूर्ति के राज्य के औसत को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाया जाये।

43. सतही स्त्रोतों का चिन्हांकन कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1 हजार 337 करोड़ की 25 समूह नल-जल प्रदाय योजनाएं मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के माध्यम से प्रारंभ की जाएंगी। इन समूह नल-जल योजनाओं से 889 ग्रामों में निवासरत 11 लाख 55 हजार ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना से उपलब्ध जल पर आधारित समूह नल-जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 9 हजार 500 ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन एवं 1 हजार 800 बसाहटों में नल-जल प्रदाय योजनाओं द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था

हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 585 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश की समस्त गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

44. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में ₹ 3 हजार 708 करोड़ लागत की स्वीकृत 171 नल-जल योजनाएँ निर्माणाधीन हैं। पेयजल की मानक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में ₹ 651 करोड़ का निवेश संभावित है।

शिक्षा एवं कौशल विकास

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

45. हमारी सरकार के निरन्तर प्रयासों से प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुदूर ग्रामों तक पहुंचाई जा सकी है। शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर विकास की दिशा में हमने प्रयास किये हैं परन्तु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अभी भी यह चुनौती विद्यमान है।

46. विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से टोल फ्री कॉल सेन्टर तथा मोबाईल दूरभाष आधारित प्रणाली इस वर्ष प्रारंभ की जायेगी। प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे में सुधार हेतु राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है। चिन्हांकित माध्यमिक शालाओं में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के शिक्षण में सुधार हेतु स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा रही है। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किये जा रहे हैं।

47. वर्ष 2014-15 में आदिवासी विकास खण्डों में 20 नवीन प्री-मेट्रिक छात्रावास एवं 10 आश्रम शालाएं खोला जाना प्रस्तावित है। 20 आश्रम शालाओं के नवीन भवन निर्माण प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 179 प्री-मेट्रिक छात्रावास प्रारंभ किया जाना एवं विद्यमान प्री-मेट्रिक छात्रावासों में 2 हजार सीट्स की वृद्धि प्रस्तावित है।

48. निःशुल्क सायकल वितरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति योजनाओं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति, संपूर्ण ग्राम शिक्षित योजना, शिक्षक प्रोत्साहन योजना, सर्व शिक्षा अभियान सहित प्राथमिक शिक्षा के लिये वर्ष 2014-15 में कुल ₹ 11 हजार 922 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 के प्रावधान से ₹ 3 हजार 124 करोड़ अधिक है।

49. प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7 हजार 401 शासकीय हाईस्कूल तथा हायरसेकेन्डरी स्कूल हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि क्रमिक रूप से विद्यालयों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार की जाए जिससे अधिकाधिक छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच संभव हो सके।

50. वर्ष 2014-15 में आदिवासी विकास खण्डों में 20 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में, 40 हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन एवं 20 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकायों की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 20 नवीन पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में आदिवासी विकासखण्डों में 40 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 30 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास के नवीन भवन निर्माण प्रस्तावित

हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 3 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में 100 सीटर पोस्ट-मेट्रिक बालक छात्रावास तथा 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है जिनके भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

51. विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संविदा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक 42 हजार संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शालाओं में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाकर उन्हें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये अधिक सार्थक बनाया जायेगा। शाला भवन एवं उनमें शौचालय तथा पेयजल की मूलभूत व्यवस्थायें करना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है।

52. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 5 हजार 296 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 से ₹ 1 हजार 997 करोड़ अधिक है।

उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा

53. हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में सहभागिता की सहमति व्यक्त की है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल पंजीयन अनुपात 19.5 प्रतिशत को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। पिछले दो वर्षों में ग्रामीण तथा दूरस्थ अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये 46 नवीन महाविद्यालय तथा विद्यमान महाविद्यालयों में 114 नये संकाय प्रारंभ किये गये हैं। 42 महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन प्रारंभ किया गया है।

54. उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिये शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में इस योजना से लगभग 1 लाख 80 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। गांव की बेटी योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 38 हजार 219 छात्राओं एवं प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत 3 हजार 129 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

55. प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन दिये जाने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप देने की योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15 में इस योजना पर ₹ 15 करोड़ व्यय भार आना संभावित है।

56. प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विभागीय छात्रावासों में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर आवास सहायता राशि दी जा रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 3 लाख से कम है, को मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में चयनित पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

57. कौशल, योग्यता के साथ-साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। हमारी सरकार प्रदेश में कौशल विकास के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसरों के सृजन एवं विस्तार के लिये वर्ष 2018 तक समस्त विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

58. वर्ष 2013-14 में प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थाएं 1 हजार 54 से बढ़कर 1 हजार 141 एवं प्रवेश क्षमता 2 लाख 5 हजार 854 से बढ़कर 2 लाख 21 हजार 421

हो गई है। 10 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2014-15 में 40 आई. टी. आई. भवनों का निर्माण पूर्ण कराने तथा 30 आई. टी. आई. भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। अम्बेडकर पॉलीटेक्निक योजना एवं एकलव्य पॉलीटेक्निक योजना के अन्तर्गत क्रमशः लटेरी एवं हरसूद में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

59. प्रदेश के पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा के पाठ्यक्रमों का विशेषज्ञों के माध्यम से निर्धारण एवं शोध कार्यों के लिये प्रदेश में तकनीकी शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। कौशल दक्षता के प्रमाणीकरण की औपचारिक एवं संस्थागत व्यवस्था बनाये जाने के उद्देश्य से आई. टी. आई. का मूल्यांकन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया से तथा कौशल विकास केन्द्रों का मूल्यांकन विश्व बैंक के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

60. अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के कौशल प्रमाणीकरण की संस्थागत व्यवस्था की जाकर उन्हें नेशनल स्किल डेव्हलपमेन्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रमाण-पत्र दिया जाना प्रस्तावित है जिससे उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

61. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 690 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 से 40 प्रतिशत अधिक है।

चिकित्सा शिक्षा

62. प्रदेश में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विदिशा, शहडोल, रतलाम सहित अन्य चयनित स्थानों पर भी चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने के कार्य को गति दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एवं जबलपुर में कार्डियोलॉजी एवं

न्यूरोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कार्डियालॉजी एवं गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभाग तथा चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में कार्डियालॉजी एवं नैफ्रोलॉजी विभाग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 582 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 से 30.61 प्रतिशत अधिक है।

63. प्रदेश के चार आयुर्वेदिक महाविद्यालयों भोपाल, ग्वालियर, रीवा एवं उज्जैन में पी. जी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल में पी. जी. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

लोक स्वास्थ्य

64. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, की उक्ति हमारी सरकार की सोच व विचार में सम्मिलित है। विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर क्रमशः 66 से 53, 310 से 227 तथा 3.1 से 2.4 हुई है। वर्ष 2016 तक इन सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत के नीचे लाना हमारा लक्ष्य है। हमारा यह भी लक्ष्य है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए।

65. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्वव्यापी तथा समुदाय आधारित बनाने के लिये "सम्पूर्ण स्वास्थ्य - सबके लिये" की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना की गई है।

66. नागरिकों को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, निःशुल्क जांच योजना, संजीवनी 108 एवं निःशुल्क परिवहन सेवा, ममता एवं आस्था अभियान, चलित चिकित्सालय, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, जननी - शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि जैसी जनोपयोगी योजनाओं के सकारात्मक परिणामों को दृष्टिगत रखते हुये इन्हें निरन्तर रखा जा रहा है। जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चों के कॉकलियर इम्प्लान्ट तथा स्पीच थैरेपी हेतु मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना प्रारम्भ की गई है। शासकीय अस्पतालों में आंतरिक रोगियों को निःशुल्क पौष्टिक आहार भी प्रदाय किया जा रहा है।

67. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये वर्ष 2014-15 में शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 35 हजार 53 किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 484 कार्य पूर्ण किये जायेंगे, जिनकी लागत ₹ 227 करोड़ है।

68. भारतीय उपचर्या परिषद् से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत 12 जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफ प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष प्रारंभ किये जायेंगे जिसके फलस्वरुप 720 महिलाएं प्रतिवर्ष नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में औषधि, उपकरण एवं सामग्री के उपार्जन एवं आपूर्ति में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, गुणवत्ता, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन गठित किया गया है।

69. लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 4 हजार 828 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है।

70. प्रदेश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन प्रारंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश की 80 लाख से अधिक माताओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषण आहार योजना चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में ₹ 1 हजार 153 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2013-14 में विशेष रणनीति के तहत 3 हजार ग्रामों में सुपोषण अभियान चलाया गया जिसे वर्ष 2014-15 में 10 हजार अन्य ग्रामों तक विस्तारित किया जाएगा।

71. पोषण आहार योजना के सफल क्रियान्वयन में आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपयुक्त व्यवस्था तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹ 2 हजार प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹ 1 हजार प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 227 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 के लिये प्रावधानित राशि से 62 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु ₹ 185 करोड़ का तथा भवनों के अनुरक्षण के लिए ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

नगरीय विकास एवं अधोसंरचना

72. बढ़ते शहरीकरण को देखते हुये नगरीय क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना तथा उच्च स्तर की नागरिक सेवाओं का प्रदाय आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से जवाहरलाल नेहरु शहरी पुनर्नवी मिशन, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास

कार्यकम, मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधोसंरचना सुधार के कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 के लिये इन योजनाओं में ₹ 1 हजार 70 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. सभी शहरों की नगर विकास योजना के प्रारूपण के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम में 35 निकायों द्वारा ₹ 277 करोड़ के ऋण हेतु वित्तीय संस्थाओं के साथ अनुबंध किये गये हैं। हमारी सरकार द्वारा इन ऋणों के 75 प्रतिशत पुनर्भुगतान का दायित्व लिया गया है।

74. सिंहस्थ-2016 आयोजन के लिये सुविधाओं एवं आवश्यक अधोसंरचना के योजनाबद्ध विकास हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 165 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

75. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम में संचालित गतिविधियों के द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रारंभिक रूप से योजना हेतु वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ किया जायेगा जिसके लिये ₹ 75 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

76. नगरीय क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता बनाये रखने एवं पेयजल हेतु सतही जल की उपलब्धता के लिये नगरीय क्षेत्रों तथा उनके समीप स्थित झीलों तथा तालाबों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। झीलों तथा तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना के लिए ₹ 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

77. माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों के भौगोलिक विस्तार तथा निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में

आधुनिकतम लोक परिवहन साधनों को विकसित किया जाए। मुझे सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष है कि मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत इन्दौर तथा भोपाल शहरों में लाइट मेट्रो रेल परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है। जबलपुर शहर में भी मेट्रो रेल परियोजना के लिये फिजीबिल्टी सर्वे की स्वीकृति दी गई है। सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात सूचना प्रबंधन एवं नियंत्रण केन्द्र की स्थापना के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है। भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों के लिये पार्किंग मास्टर प्लान, लोक परिवहन मास्टर प्लान एवं ट्रान्जिट ओरियेन्टेड डेव्हलपमेन्ट मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्थाओं के सुधार के लिये प्रतिबद्ध नगरीय परिवहन कोष बनाया गया है।

78. हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2017 तक खुले में शौच को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं मैला निपटान प्रबंधन के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया गया है। मिशन अन्तर्गत कार्यों के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 87 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. वित्तीय तथा प्रशासकीय सुधार, ई-गवर्नेन्स, संपत्ति कर एवं उपभोक्ता प्रभारों की प्रणाली में सुधार के लिये शहरी सुधार कार्यक्रम हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 13 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों की नगर प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, गुड गवर्नेन्स इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान

भोपाल में स्थापित किया गया है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 7 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

80. नगरीय विकास के लिये वर्ष 2014-15 में कुल ₹ 5 हजार 895 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण विकास एवं अधोसंरचना

81. प्रदेश की लगभग 72 प्रतिशत आबादी ग्रामों में बसती है। हमारी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रदेशवासियों के जीवन स्तर के उन्नयन का है। ग्रामों में शहरों के समान सुविधाएँ प्रदान करने हेतु विकास एवं अधोसंरचना के कार्यों को गति दी जाकर शहरों पर बढ़ते हुये दबाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

82. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आस्तियों का निर्माण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्य किये जायें जिनसे ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में नवाचार कर इस योजना अंतर्गत कपिल धारा, नन्दन फलोद्यान, सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2014-15 में इस योजनान्तर्गत ₹ 4 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 में इस मद में उपयोग की गई राशि ₹ 2 हजार 777 करोड़ से ₹ 1 हजार 223 करोड़ अधिक है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड योजनान्तर्गत चयनित जिलों में

अधोसंरचना की कमियों को पूरा करने के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 631 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. स्वसहायता समूहों का परिपोषण, ग्रामीण विकास की स्थापित एवं सफल रणनीति है। प्रदेश में 76 हजार 305 ग्रामीण स्वसहायता समूह कार्यशील हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 90 हजार परिवारों की स्थाई आमदनी में वृद्धि संभावित है। मिशन के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 276 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

84. राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त हो रही अनाबद्ध राशि के सुनियोजित उपयोग के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा पंच परमेश्वर योजना अन्तर्गत ग्रामों में जल निकासी तथा आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट की सड़कों का निर्माण एवं निर्मित सम्पत्तियों का संधारण किया जा रहा है। हमारा यह लक्ष्य है कि वर्ष 2018 तक 75 प्रतिशत आंतरिक सड़कें सीमेन्ट कांक्रीट की हो जाएं। वर्ष 2014-15 में वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर ग्रामीण निकायों को ₹ 2 हजार 536 करोड़ का हस्तांतरण प्रस्तावित है।

85. हमारा संकल्प है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018 तक खुले में शौच को समाप्त किया जाए। इसके लिये मर्यादा अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली लागू किये जाने का लक्ष्य है। इन कार्यों के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 830 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

86. ग्रामीण आवास उपलब्धता के लिये इंदिरा आवास योजना के साथ-साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत अब तक 3 लाख 25 हजार आवासों के लिये ₹ 2 हजार 657 करोड़ का बैंक ऋण उपलब्ध कराया

जा चुका है। वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजना के लिये ₹ 800 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के लिये ₹ 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

87. ग्रामीण विकास के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 11 हजार 102 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

रोजगार सृजन एवं निवेश

88. प्रदेश में अधोसंरचना के विकास एवं आकर्षक नीतियों के परिणामस्वरूप निवेश का वातावरण निर्मित हुआ है तथा मध्य प्रदेश निवेश के लिये एक प्रतियोगी प्रदेश के रूप में उभरा है। वर्ष 2012 में इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के क्रम में वर्ष 2014 में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश को व्यापार के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2013 में मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मण्डल का गठन किया गया है। नवीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

89. प्रदेश में पिछले दो-तीन वर्षों में प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों ने निवेश किया है। प्रदेश में वर्ष 2013-14 में 18 हजार 653 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें ₹ 561 करोड़ का निवेश हुआ एवं प्रत्यक्ष रूप से 44 हजार 336 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014-15 में उद्योगों को निवेश संवर्धन सहायता अंतर्गत ₹ 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में औद्योगिक इकाईयों को लागत पूँजी

अनुदान हेतु ₹ 60 करोड़, लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु ₹ 35 करोड़ तथा टेक्सटाईल उद्योगों के लिये ब्याज अनुदान मद में ₹ 75 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

90. मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2013-14 में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन के लिये ₹ 250 करोड़ से अधिक की राशि निवेशित की गई है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को ऋण सहायता तथा पुनर्भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।

91. दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत नॉलेज सिटी उज्जैन एवं विक्रम उद्योगपुरी की परियोजनायें प्रगति पर हैं। मालवांचल के उद्योगों की जल समस्या के निदान हेतु नर्मदा-क्षिप्रा लिंक औद्योगिक जल प्रदाय योजना में वर्ष 2014-15 में ₹ 29 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश के चारों महानगरों में आई. टी. पार्क तथा इलेक्ट्रानिक मेनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

92. शहरी क्षेत्रों में परम्परागत कार्यों से जुड़े वर्गों के कौशल विकास, रोजगार से बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा जीवन स्तर के उन्नयन के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई-कला मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य केशशिल्पी कल्याण मण्डल का भी गठन किया गया है।

93. युवाओं को प्रोत्साहित कर स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में लगभग 30 हजार प्रकरणों में ₹ 300 करोड़ से भी अधिक की ऋण राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 66 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

94. मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना, युवा इंजीनियर्स को ठेकेदारी व्यवसाय के लिये प्रशिक्षित करने की अभिनव योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के साथ-साथ ठेकेदारी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सहभागिता बढ़ाकर अधोसंरचनात्मक कार्यों में गुणवत्ता वृद्धि करना है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

95. विभिन्न विधाओं के ग्रामीण कारीगरों को स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना में सहायता दी जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में जहां 3 हजार 948 हितग्राहियों को ₹ 9 करोड़ की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई थी वहीं वर्ष 2014-15 में इस योजनान्तर्गत 5 हजार 500 हितग्राहियों को ₹ 11 करोड़ की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित है।

<u>महिला सशक्तिकरण</u>

96. इतिहास गवाह है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाओं का योगदान न हो। अतएव सृष्टि का निर्माण करने वाली महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण तथा गिरते लिंगानुपात में सुधार के लिये हमारी सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडो अभियान, स्वागतम लक्ष्मी योजना, शौर्या दल जैसे विशिष्ट कार्यक्रम संचालित हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुये गौरव हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रदेश की नवाचार योजनाओं का अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार ने भी अनुसरण किया है।

97. महिलाओं के सम्मान एवं संरक्षण हेतु भोपाल में वन स्टाप क्राईसिस सेन्टर गौरवी प्रारंभ किया गया है जिसमें पारिवारिक एवं अन्य प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी।

98. लाड़ली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2013-14 के अन्त तक 17 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जाकर ₹ 3 हजार 142 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 778 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के 15 जिलों में किशोरी बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सबला योजना एवं अन्य 31 जिलों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है। इन योजनाओं के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 153 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

99. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में राज्य शासन की ओर से प्रदाय की जा रही आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹ 25 हजार किया गया है। इन योजनाओं हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 111 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

<u>खाद्यान्न सुरक्षा</u>

100. अपव्यय नियंत्रण एवं बचत परोक्ष रूप से उत्पादन वृद्धि है। विगत तीन वर्षों में गेहूं एवं धान के उपार्जन में प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उपार्जित अनाज को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। विगत दो वर्षों में भण्डारण क्षमता में 25.98 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में इस भण्डारण क्षमता में 28 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि संभावित है।

101. भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से निजी वेयर हाउस संचालकों को साढ़े चार माह की व्यवसाय गारंटी एवं अनुबंधित गोदाम के खाली रहने पर गारंटी राशि की 10 प्रतिशत राशि की क्षतिपूर्ति की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 7 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

102. अप्रैल, 2008 से प्रदेश में अन्नपूर्णा अन्न योजना अन्तर्गत प्रारंभ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ₹ 3 प्रति किलो गेहूं तथा ₹ 4.50 प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा था। योजना का विस्तार किया जाकर प्राथमिकता परिवारों की 22 नई श्रेणियों के लगभग 18 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अंत्योदय अन्न योजना अन्तर्गत लगभग 75 लाख परिवारों के अतिरिक्त इन 18 लाख परिवारों को भी वर्तमान में एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनांतर्गत प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

103. कृषि उपज के उपार्जन में कार्यरत प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर विपणन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी एवं ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

समावेशी विकास एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं

104. समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्मॉल बैंक प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में लगभग 2 हजार 200 अल्ट्रा स्मॉल बैंक कार्य कर रहे हैं जिनके माध्यम से ₹ 1 हजार 500 करोड़ से भी अधिक का संव्यवहार किया गया है।

105. सरकार का यह दायित्व है कि वह नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करे। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है।

106. मध्यप्रदेश निर्धन वर्ग आयोग, मध्यप्रदेश वरिष्ठजन आयोग के अनुरूप ही मध्यम वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मध्यम वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, रहवासी क्षेत्रों की अधोसंरचना आदि से सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में अनुशंसाएं की जाएंगी। आयोग की गतिविधियों के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 75 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

107. हमारी धार्मिक मान्यताओं में यह अभिलाषा निहित है कि जीवनकाल में तीर्थाटन किये जाएं। प्रदेश के वरिष्ठजन की इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की है जिसमें अब तक 1 लाख 80 हजार वरिष्ठजन को विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराये गये हैं। इस योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

संस्कृति, विरासत और पर्यटन

108. देश के स्वाधीनता संग्राम के दस्तावेजीकरण और आजादी के संघर्ष के आदर्शों, बलिदानों, प्रेरक विचारों को समाज में पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना का संचार हो सके।

109. युग-युगीन भारत के महानतम् वीरों, संतो, मनीषियों, चिन्तकों एवं सत्पुरूषों के कालजयी चरित्रों, वाणियों और प्रेरणाओं को पुनः सजीव करने के उद्देश्य से वीर भारत परिसर की स्थापना प्रस्तावित है।

110. राष्ट्र अभ्युदय और स्वाभिमान के प्रतीक अद्वितीय विद्वान स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पंचायत स्तर पर स्वामी विवेकानंद लायब्रेरी की स्थापना, युवा भारत फैलोशिप, विवेक प्रतिभा खोज, विवेकानंद खेल महाकुंभ, विवेक ज्योति यात्रा, युग प्रवर्तक विवेकानंद का प्रसारण एवं विवेकानंद प्रसंग के आयोजन किये जा रहे हैं।

111. प्रदेश पुरातत्वीय संपदा की दृष्टि से संपन्न है। प्रदेश में फैली पुरासंपदा तथा संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण, संवर्धन तथा शोध के कार्य निरंतर किये जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 में कला, संस्कृति तथा पुरातत्व गतिविधियों के लिए ₹ 146 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

112. पर्यटन, सोच, संबंधों एवं संस्कृतियों का संवाहक है। इससे न केवल आर्थिक विकास की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं अपितु सामाजिक समरसता भी पनपती है। यह सौभाग्य है कि प्रदेश में प्रकृति प्रदत्त पर्यटन क्षेत्रों की बहुतायत है। हमारी सरकार न केवल ऐसे क्षेत्रों को विकसित व सुविधा सम्पन्न कर रही है अपितु नवीन क्षेत्रों को भी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में सफल रही है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढावा देने

के उद्देश्य से उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, सांची, बुरहानपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर जैसे स्थलों को सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है।

113. प्रत्येक जिले में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने, पर्यटन परिपथों के विकास, स्थायी सम्पत्तियों के अनुरक्षण, पर्यटक आकर्षणों के प्रचार-प्रसार, साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसी पर्यटन गतिविधियों हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 172 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

<u>पर्यावरण सुधार</u>

114. विश्व के समग्र पर्यावरण तंत्र पर विचार किया जाना आवश्यक है। समझ और चेतना ही किसी निदान की ओर हमें ले जा सकेगी। प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र लगभग 94 हजार 690 वर्ग किलो मीटर है जो पूरे देश में सर्वाधिक होकर देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3 प्रतिशत है।

115. वर्ष 2013-14 में हरियाली महोत्सव अन्तर्गत 7 करोड़ 95 लाख पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है। वर्ष 2014-15 में हरियाली महोत्सव के दौरान एक ही दिवस में 1 करोड़ पौधों का रोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है जो कि कीर्तिमान होगा। वर्ष 2014-15 में कुल 3 लाख 61 हजार 28 हेक्टेयर वन क्षेत्र में उपचार कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है। बांस वनों के प्रबंधन में वन समितियों की भागीदारी बढ़ाकर बांस आधारित रोजगार के अधिक अवसर निर्मित किए जाएंगे। निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये किसान लक्ष्मी योजना भी प्रारंभ की गई है। वन संरक्षण एवं

सुधार गतिविधियों के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 2 हजार 712 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 के प्रावधान से 27.65 प्रतिशत अधिक है।

<u>खेल</u>

116. हमारी सरकार ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रदेश के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के कार्य को मिशन के रूप में लिया है। इसके लिये प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित किये हैं। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि 38 वर्षों के बाद भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में आयोजित हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया है। इस टीम में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की छः खिलाड़ी सम्मिलित रहीं हैं।

117. कामनवेल्थ गेम्स जुलाई 2014 हेतु भी भारतीय टीम में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी से महिला खिलाड़ी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हमारी सरकार द्वारा मिशन ओलम्पिक, 2020 योजना प्रांरभ की गई है जिसमें कराटे, ताईक्वांडो, बाक्सिंग, कुश्ती, तलवारबाजी, शूटिंग, क्याकिंग-केनोइंग एवं रोइंग खेलों का चयन कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेलों के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 174 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक है।

सुशासन

118. हमारी सरकार ने सुशासन को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सुशासन के लिये राजकीय कार्यों में तत्परता एवं पारदर्शिता अनिवार्य है जिसके लिए विभागों का सूचना प्रौद्योगिकी की विधा से सुसज्जित होना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग में कम्प्यूटराईजेशन एवं ऑटोमेशन को गति दी जा रही है। इस हेतु विभागीय बजट में उपयुक्त राशि ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित है।

119. प्रदेश सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को देय राशि ऑन लाईन भुगतान करने के उद्देश्य से समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन कर समग्र पोर्टल तैयार किया गया है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हितग्राही मूलक योजनाओं, जिनमें राशि वितरण का समावेश हो, को समग्र पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाए।

120. प्रदेश में ग्रामीण आजीविका से जुड़े पहलुओं तथा सैंच्य क्षेत्र विकास को सम्मिलित करते हुये जल ग्रहण क्षेत्र विकास की गतिविधियों पर प्रशिक्षण के लिये भोपाल स्थित वाल्मी संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

121. कोषालयों से लगभग सभी प्रकार के भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से संबंधित के बैंक खाते में किये जा रहे हैं। इसी प्रकार शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशि को भी ई-रिसीट्स के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सायबर ट्रेजरी की सुविधा को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

122. माननीय अध्यक्ष महोदय, परियोजनाओं के समय पर पूर्ण न होने के कारण जहां एक ओर इनका लाभ जनता को विलम्ब से प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर परियोजनाओं

की लागत में वृद्धि होती है। यह प्रस्तावित है कि परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिये राज्य स्तर पर चयनित विभागों एवं जिलों में परियोजना प्रबंधन इकाईयां स्थापित की जायें।

123. निष्पक्ष, त्वरित व पारदर्शी चुनाव प्रणाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को पुष्ट करती है। लोकसभा एवं विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया के समान स्थानीय निकायों के चुनाव में भी मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु ₹ 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

124. प्रदेश के ऐसे मजरे-टोले जिनकी निकटवर्ती राजस्व ग्राम से दो किलोमीटर या अधिक दूरी हो एवं जिनकी जनसंख्या 200 या अधिक हो, उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014-15 में लगभग 550 मजरे-टोलों को ग्रामों का दर्जा दिया जाएगा। जिलों के राजस्व रिकार्ड रूम को आधुनिकीकृत कर दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। खसरों की इलेक्ट्रानिकली हस्ताक्षरित प्रतियां उपलब्ध कराने की योजना भी वर्ष 2014-15 में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

125. न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये ई-कोर्ट्स परियोजना जारी है। अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को लेपटॉप उपलब्ध कराए जाने के लिये ₹ 6 करोड़ 71 लाख का व्यय भार संभावित है। इसके साथ ही वर्ष 2013-14 में 86 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, 52 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं इनसे संबंधित अमले के 1 हजार 70 नवीन पद सृजित किये गये हैं। इस वर्ष प्रदेश के सभी

जिलों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हो जाएंगे। न्यायालयीन भौतिक अधोसंरचना विकास के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 120 करोड़ एवं रख-रखाव हेतु ₹ 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था

126. हमारा प्रदेश गंगा-जमुनी तहजीब के लिये अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश में शांति, सौहार्द्र एवं भाईचारे का वातावरण बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधों पर नियंत्रण के लिये आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने, अपराध एवं अपराधियों का डाटा एवं जानकारी एकत्रित करने एवं पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

127. अपराधों में अनुसंधान तथा अभियोजन, यातायात नियमन आदि में ऑडियो-वीडियो साक्ष्य की महत्ता है। अतः ₹ 429 करोड़ का सी. सी. टी. व्ही. आधारित सर्विलेंस सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

128. आम जनता को पुलिस सहायता सहजता से उपलब्ध कराने के लिये डायल 100 योजना अन्तर्गत केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। ₹ 257 करोड़ की इस योजना पर वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 44 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

129. शहरों में वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः बेहतर एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिये ₹ 190 करोड़ लागत की आधुनिक तकनीक पर आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई है। इस हेतु वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

130. प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राजकीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं तथा राहजनी, लूट जैसी वारदातों की रोकथाम एवं प्रभावित व्यक्ति की सहायता के उद्देश्य से राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 80 हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

131. प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 4 हजार 438 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2013-14 के प्रावधान से 11.76 प्रतिशत अधिक है।

कर्मचारी कल्याण

132. शासकीय कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिये हैं जिससे कार्य संस्कृति में सुधार आया है एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत तिथियों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं राहत स्वीकृत की गई है। दिनांक 1.1.2014 से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एवं राहत का भुगतान किया जा रहा है।

133. स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग के वेतनमान आगामी चार वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रचलित वेतनमान के बराबर किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 1 हजार करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

134. हमारी सरकार ने पंचायत सचिवों को प्राप्त हो रहे वेतन को बढ़ाया है। माह अगस्त, 2013 से इन्हें ₹ 1 हजार 300 प्रतिमाह विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को पेंशन फण्ड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नवीन पेंशन सिस्टम के अन्तर्गत लाया गया है एवं मृत्यु पर प्राप्त होने वाली अनुग्रह राशि में भी वृद्धि की गई है।

<u>पुनरीक्षित अनुमान 2013-14</u>

135. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 80 हजार 497 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 73 हजार 623 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 53 हजार 382 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 38 हजार 850 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 6 हजार 873 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 11 हजार 628 करोड़ है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत होने से वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से कम है।

<u>बजट अनुमान 2014-15</u>

राजस्व प्राप्तियां

136. वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 1 लाख 3 हजार 493 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 38 हजार 990 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 27 हजार 681 करोड़ इस प्रकार कुल कर राजस्व ₹ 66 हजार 671 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹ 6 हजार 759 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 30 हजार 63 करोड़ अनुमानित है।

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

137. वर्ष 2014-15 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान ₹ 54 हजार 290 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये ₹ 11 हजार 749 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये ₹ 7 हजार 903 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का 46.38 प्रतिशत है। पूंजीगत परिव्यय ₹ 18 हजार 27 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेतर व्यय का अनुमान ₹ 62 हजार 750 करोड़ है।

शुद्ध लेन-देन

138. वर्ष 2014-15 की कुल प्राप्तियां ₹ 1 लाख 16 हजार 582 करोड़ तथा कुल व्यय ₹ 1 लाख 17 हजार 40 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन ऋणात्मक ₹ 458.50 करोड़ एवं अंतिम शेष ऋणात्मक ₹ 76.89 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

139. कुल राजस्व व्यय ₹ 99 हजार 14 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 1 लाख 3 हजार 493 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य ₹ 4 हजार 479 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2014-15 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 13 हजार 425 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत अनुमानित है जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित सीमा में है।

भाग-दो

अध्यक्ष महोदय,

वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.)

1. केन्द्र की पूर्व की सरकार द्वारा देश में वस्तु तथा सेवा कर - जी.एस.टी. लागू करने के प्रयासों, विशेषकर जिस स्वरूप में यह कर लागू किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा था, के संबंध में राज्य सरकार की चिन्ताओं एवं आशंकाओं से हमारी सरकार इस सदन को समय-समय पर अवगत कराती रही है। संतोष की बात है कि हमारे प्रधानमंत्रीजी ने इस कर को लागू करने के पूर्व समस्त राज्य सरकारों से परामर्श कर इस संबंध में एक आम राय बनाने की बात कही है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस दिशा में कोई पहल करते समय राज्य के हितों का ख्याल रखेगी।

कर प्रशासन

2. हमारी सरकार कर प्रशासन को पारदर्शी एवं करदाताओं हेतु अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रही है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर करदाताओं की प्रतिक्रिया भी काफी सकारात्मक रही है।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक

3. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को सरल तथा कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से शासन की महत्वाकांक्षी **ई-पंजीयन** परियोजना लागू की जा रही है। प्रदेश के पांच जिलों, उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, बालाघाट एवं अनूपपुर में इस व्यवस्था का पायलट किया जाएगा और इस वर्षान्त तक प्रदेश के सभी जिलों में **ई-पंजीयन** व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

<u>आयुक्त, वाणिज्यिक कर</u>

4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित कराधान प्रणालियों के कम्प्यूटरीकरण एवं उसके तहत दी जा रही सुविधाओं के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। वर्ष 2012-13 में प्राप्त लगभग 5 लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में लगभग 9 लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्राप्त हुये हैं। व्यवसायियों को उनसे संबंधित जमा कर, स्रोत पर कटौती, घोषणा पत्र आदि की जानकारी डीलर प्रोफाईल में उपलब्ध करायी जा रही है एवं घोषणा पत्रों की सूचना तथा सीमा में परिवर्तन, आवेदनों पर लिए गए निर्णयों की सूचना एस.एम.एस. से भी दी जा रही है। प्रदेश से ट्रांजिट करने वाले वाहनों हेतु अब ऑनलाईन पास प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार ट्रांस-शिपमेंट होकर जाने वाले वाहनों हेतु ट्रांसपोर्टर को आनलाईन बिल्टी ट्रांसफर एवं ट्रांस-शिपमेंट पास प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

5. डिजिटल हस्ताक्षर सहित रिटर्न प्रस्तुत करने पर सत्यापन प्ररूप प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। दो करोड़ तक वार्षिक विक्रय वाले छोटे व्यवसायियों के लिए कर भुगतान तिथि में बिना परिवर्तन के इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। वाणिज्यिक करों का भुगतान विभागीय वेबसाइट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से भी किया जा रहा है। स्व-कर निर्धारित प्रकरणों में तत्संबंधी सूचना ऑन लाईन व्यवसायियों को दी जाने की व्यवस्था लागू की गई है।

6. वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए ही इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। वर्ष 2014-15 से समस्त रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

7. कर वापसी की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से ई-रिफण्ड की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब वापसी की राशि सीधे व्यवसायी द्वारा दिये गये बैंक खाते में जमा हो सकेगी।

8. वर्ष 2014-15 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उन्नयन से निम्नांकित सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है :-

(i) वर्तमान कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत उपलब्ध सुविधाओं में से सबसे अधिक उपयोग में लाई जा रही फार्म-49 को ऑन-लाईन डाउनलोड करने की सुविधा है। कई व्यवसायियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा सदैव उपलब्ध न होने के कारण इस सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था के सरल एवं सुलभ विकल्प के रूप में मोबाईल के माध्यम से मोबाईल-पास उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट **ई-गतिमान** पिछले माहों में प्रारंभ किया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से कोई भी व्यवसायी कभी भी मोबाईल से एस.एम.एस. के माध्यम से विहित जानकारी विभाग को भेजकर मोबाईल-पास प्राप्त कर सकता है। ऐसे मोबाईल-पास साथ रखने की स्थिति में फार्म-49 की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वैकल्पिक व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) व्यवसायी द्वारा समस्त क्रय-विक्रय की सूची को रिटर्न में नियमानुसार प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में आई.टी.आर. के दावे का सत्यापन कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से करते हुए वापसी भुगतान आदेश जारी किए जाने की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

(iii) व्यवसायियों को पूर्ण विवरण सहित अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय की सूची के साथ विवरण पत्र, देय कर, ब्याज सहित प्रस्तुत कर दिये जाने एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र एक निर्धारित अवधि से लगातार वैध होने की स्थिति में व्यवसायी द्वारा वैधानिक फार्म जैसे सी-फार्म, एफ-फार्म, एच-फार्म आदि बिना पूर्व अनुमोदन के सीधे ऑन-लाईन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

(iv) व्यवसायी द्वारा प्रदर्शित क्रय विक्रय के समस्त विवरण एवं उसके सत्यापन के परिणाम उसकी डीलर प्रोफाइल में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रक्रियात्मक सुधार

9. वर्तमान में व्यवसायियों के असमायोजित आगत कर रिबेट की वापसी संबंधित वर्ष के दो अनुवर्ती वर्षों के बाद ही किए जाने के प्रावधान हैं। इससे व्यवसायियों की कार्यशील पूंजी अनावश्यक रूप से दो वर्ष तक अवरूद्ध रहने की स्थिति निर्मित होती है। प्रदेश के व्यवसायियों को इस स्थिति से निजात दिलाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के अंत में असमायोजित रहे आगत कर रिबेट की वापसी कर निर्धारण के साथ ही किए जाने की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

10. विभिन्न अधिनियमों के तहत दायर किए जाने वाले अपील प्रकरणों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण उनके समय-सीमा के अंदर निराकरण में कठिनाई अनुभव की जा रही है। विभाग का अनुभव रहा है कि वर्तमान में लंबित अपील प्रकरणों की एक बड़ी संख्या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के घोषणा-पत्रों के समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण उद्भूत हुई है। ऐसे प्रकरणों में अपील के विकल्प के रूप में इन घोषणा-पत्रों के प्राप्त होने तक निर्दिष्ट राशि के निर्दिष्ट अंतराल पर

भुगतान की स्थिति में अधिकतम 24 कलेण्डर माह तक वसूली प्रक्रिया पर स्थगन देने एवं उक्त अवधि के अंदर घोषणा-पत्रों के प्राप्त हो जाने पर उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः निर्धारण करा सकने हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

11. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के तहत अपील प्रकरणों में वसूली के स्थगन संबंधी वर्तमान प्रावधानों को और प्रभावी बनाने एवं वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के समक्ष लंबित अपील प्रकरणों में भी निर्दिष्ट राशि के निर्दिष्ट अंतराल पर भुगतान की स्थिति में वसूली स्वमेव स्थगित हो जाने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>कराधान प्रस्ताव</u>

12. हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता हेतु लागू किए जा रहे कल्याणकारी कार्यो एवं प्रदेश के विकास के लिये कर राजस्व संग्रहण करते समय हमेशा करदाताओं के हितों का ध्यान रखा है। परिणामस्वरूप सरकार के कर राजस्व संग्रहण के प्रयासों को प्रदेश के करदाताओं का भरपूर सहयोग मिला है और राज्य के कर राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हुई है। विगत वर्षो में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास दर में आयी गिरावट के कारण प्रदेश के कर राजस्व के बढ़े हुए लक्ष्यों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती रही है।

<u>मुद्रांक शुल्क</u>

13. प्रदेश में निष्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम में दान, विभाजन, निर्मुक्ति तथा व्यवस्थापन संबंधी ऐसी लिखतों पर जिनमें परिवार के सदस्यों के पक्ष में संपत्ति हस्तान्तरित की

गई है, स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को सामान्य विक्रय पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से आधा किया जाना प्रस्तावित है।

<u>वेट</u>

14. हमारी सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु संकल्पित रही है। प्रदेश में पूर्व से हस्तचलित एवं पशुचलित कल्टीवेटर, सीड कास्टर, फर्टीलाईजर कास्टर, पल्वराईजर, थ्रेशर, शुगरकेन क्रशर, प्लांटर, विनोवर, स्प्रेयर एवं डस्टर जैसे 54 कृषि उपकरणों तथा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर कोई कर देय नहीं रहा है। हमारी सरकार ने विगत वर्ष से रोटावेटर को भी करमुक्त कर दिया है। इसी कड़ी में अब कृषि में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित शक्तिचलित यंत्रों को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है -

1. थ्रेशर 2. लेवलर 3. स्क्रेपर 4. कल्टीवेटर 5. प्लाऊ 6. मेज शेलर 7. पोटेटो प्लांटर 8. मेज प्लांटर 9. पोटेटो डिगर 10. ग्राउंडनट डिगर 11. सीड ड्रिल 12. सीड कास्टर 13. फर्टीलाईजर कास्टर 14. रीपर 15. शुगर केन कटर 16. शुगर केन प्लांटर 17. पोस्ट-होल डिगर 18. हैरो 19. बंड फार्मर 20. रिज़र 21. केज व्हील 22. पैडी पडलर 23. शैफ कटर 24. पॉवर टिलर 25. सीड ग्रेडर एवं सीड ग्रेडर मशीन 26. हार्वेस्टर 27. पैडी ट्रांसप्लांटर 28. स्प्रेयर 29. डस्टर 30. सीड ब्रॉडकास्टर 31. फर्टीलाईजर ब्रॉडकास्टर 32. विनोवर 33. प्रूनिंग इक्विपमेंट. 34 बेलर

इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 32 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

15. हमारी सरकार ने पूर्व में यज्ञोपवीत या जनेऊ, कृपाण, धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद, भोग या महाभोग, धार्मिक चित्र जिनका कलेण्डर के रूप में उपयोग न हो, कपूर, गोमूत्र एवं उससे बने सभी उत्पाद जैसी वस्तुओं को करमुक्त किया है। इसी

क्रम में अब घण्टा, घड़ियाल, घुंघरू, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल एवं देवी-देवताओं की मूर्तियों (सोने, चाँदी तथा अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित मूर्तियों को छोड़कर) को भी करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 1 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

16. प्रदेश में वर्तमान में तेंदूपत्ता पर 25 प्रतिशत की दर से वेट देय है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग से परिवहन की स्थिति में इसके परिवहन पर भी 25 प्रतिशत की दर से कर देय है। तेंदूपत्ता पर बढ़ी हुई दरों पर अधिरोपित किए जा रहे उपरोक्त करों को देखते हुए तेंदूपत्ते के परिवहन पर लगाये जा रहे कर को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 3 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

17. वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है :

1. इंडस्ट्रियल इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले थर्मल इन्सुलेटर
2. कम्प्यूटर स्कैनर
3. एक्स-रे फिल्म
4. मक्खन
5. सभी प्रकार की सिलाई की सुईयाँ
6. फ्लश डोर
7. सेरामिक एवं विट्रीफाईड टाईल्स

इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 42 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

केन्द्रीय विक्रय कर

18. प्रदेश में स्थापित चार पहिया या उससे अधिक पहिया वाहन निर्माता इकाईयों द्वारा निर्मित वाहनों को अन्य प्रदेशों में विक्रय हेतु वर्तमान में स्टॉक ट्रान्सफर के माध्यम से ले जाया जाता है जिस हेतु इन इकाईयों द्वारा उन प्रदेशों में डिपो स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के बाहर विक्रय पर लगने वाले केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत करने की स्थिति में न सिर्फ प्रदेश के बाहर भेजे जाने वाले वाहनों को स्टॉक ट्रान्सफर के बजाय केन्द्रीय विक्रय कर भुगतान कर विक्रय की अच्छी संभावना है बल्कि इससे कर राजस्व में वृद्धि भी संभावित है। अतः प्रदेश में निर्मित ऐसे वाहनों के प्रदेश के बाहर विक्रय पर देय केन्द्रीय विक्रय कर की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 8 करोड़ अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

19. तांबा, पीतल, कांसे, एल्युमिनियम की शीट, सर्कल, लीफ स्प्रिंग, कापर वायर राड, वायर बार, कैथोड एवं क्वायन ब्लैंक पर केन्द्रीय विक्रय कर से दी गई रियायतों को यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 80 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

प्रवेश कर

20. राष्ट्रीय स्तर पर कठिन आर्थिक परिदृश्य के चलते देश में भारी माल वाहक वाहनों की बिक्री विगत समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही है। प्रदेश में इन वाहनों की बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से लगने वाले प्रवेश कर के कारण इन वाहनों के पड़ोस के प्रदेशों से, जहां इन पर कोई प्रवेश कर देय नहीं होता है, क्रय कर प्रदेश में व्यवसायिक उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे राज्य शासन को न सिर्फ इन वाहनों के विक्रय से प्राप्त होने वाले वेट एवं प्रवेश कर प्राप्त नहीं होते बल्कि इन वाहनों के

प्रदेश में पंजीयन होने पर प्राप्त होने वाले रोड टैक्स से भी वंचित होना पड़ता है। अतः इन वाहनों पर मार्च, 2015 तक के लिये प्रवेश कर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 15 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

21. प्रदेश के बाहर से विक्रय हेतु लाये जाने वाले लोहे के सरिये पर देय प्रवेश कर की दर को वर्ष 2011-12 से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे प्रदेश में बाहर से विक्रय हेतु लाये गये सरिये पर 5 प्रतिशत वेट सम्मिलित करने के पश्चात् कुल 10 प्रतिशत का कर भार पड़ता है जबकि पड़ोस के राज्यों में सरिये पर कर का भार इसका आधा या उससे भी कम है जिससे प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से गलत तरीके से सरिये को लाकर बेचने की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा प्रदेश के सरिया व्यवसायियों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः प्रस्तावित है कि प्रदेश के बाहर से विक्रय हेतु लाये जाने वाले सरिये पर देय प्रवेश कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर पूर्वानुसार 2 प्रतिशत किया जाये। इससे वर्ष 2014-15 का राजस्व अप्रभावित रहना अनुमानित है।

22. हमारी सरकार ने पुराने एवं उपयोग किए गए वाहनों के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके विक्रय पर 15 प्रतिशत की घटी वेट की दर लागू की है परन्तु पूर्व में चुकाये गये प्रवेश कर का प्रमाण न होने से पुराने वाहनों के विक्रेताओं को 2 प्रतिशत प्रवेश कर भरने की स्थिति निर्मित हो रही है। पुराने एवं उपयोग किए गए वाहनों के राज्य में ही विक्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है कि ऐसे पुराने एवं उपयोग किए गए वाहन जो पूर्व से मध्यप्रदेश में पंजीयत हैं, के क्रय पर प्रवेश कर से छूट दी जाये। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 1 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

23. प्रदेश की गर्भवती एवं धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से प्रदाय किया जाता है जिस पर अप्रैल, 2010 से 1 प्रतिशत तथा अप्रैल, 2012 से 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है। प्रदेश की गर्भवती एवं धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पूरक पोषण आहार के प्रदाय पर अप्रैल, 2010 से देय प्रवेश कर समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 35 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

24. प्रदेश में कोयले पर प्रवेश कर की अनुसूची-2 के अनुसार वर्तमान में कर दर 3 प्रतिशत है जबकि निर्माण में उपयोग करने पर इस पर कतिपय परिस्थितियों में केवल 2 प्रतिशत ही कर भार है जिसे प्रवेश कर की अनुसूची-2 की दर के समान किया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 20 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

25. हैंडलूम कपड़ा निर्माता, खादी ग्रामोद्योग इकाईयों तथा पाठ्य पुस्तक निगम को कच्चे माल, समाचार-पत्रों के प्रकाशन हेतु अखबारी कागज, विनिर्माण हेतु लोहा तथा इस्पात एवं चमड़ा, खाली सिक्कों के निर्माण हेतु धातु, रिफाईनिंग हेतु क्रूड खाद्य तेल, 1 करोड़ से अनधिक वार्षिक क्रय वाले लघु उद्योगों हेतु तिलहन, बीड़ी, प्लास्टिक के वाटर स्टोरेज टैंक, टिंबर, क्लिंकर, शक्तिकरघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा एवं चाय के क्रय पर दी गई प्रवेश कर की रियायतों को वर्ष 2014-15 में भी यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2014-15 में लगभग ₹ 173 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

गौण खनिज

26. गौण खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरों का पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रतिवर्ष लगभग ₹ 80 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

प्रदेश के बजट प्रस्तावों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रेखांकित किया है। प्रदेश अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता, बेहतर प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन से समावेशी विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। प्रदेश की जनता को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना प्रदेश नेतृत्व का संकल्प है। हमें मालूम है कि चुनौतियां अनन्त हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देंगे। हमें विश्वास है कि सदन के सहयोग, योगदान एवं मार्गदर्शन से प्रदेश के सर्वांगीण विकास का संकल्प हम पूरा कर सकेंगे।

मैं अटल जी की इन पंक्तियों से अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा -

सम्मुख फैला, अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन, कैसा इति अब
सुस्मित हर्षित, कैसा श्रम श्लथ
असफल सफल, समान मनोरथ
सब कुछ देकर, कुछ न मांगते
पावस बनकर, ढलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा

इन्हीं शब्दों के साथ -

।। जय भारत **जय मध्यप्रदेश।।**

<u>संशोधन पढ़ने का प्रारूप</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 01 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के बजट भाषण 2014–2015 के मुद्रित अंश में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:–

बजट भाषण के पृष्ठ क्रमांक 51, कंडिका–22 की पंक्ति क्रमांक–02 में अंकित ''विक्रय पर 15 प्रतिशत की घटी वेट'' के स्थान पर ''विक्रय पर 1.5 प्रतिशत की घटी वेट'' पढ़ा जाये ।

हस्ताक्षर (एवं मुद्रा) नाम
मंत्री
भारसाधक मंत्री
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना,
आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं जल संसाधन